सभापति:	देवियों और सज्जनों, नमस्कार और आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ लिमिटेड की मेजबानी में आयोजित पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन की वित्त वर्ष 2015 की तिमाही-1 आय संबंधी सम्मेलन कॉल में आपका स्वागत है। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि सभी भागीदारी की लाइनें केवल सुनने में मोड में होगी और प्रस्तुतीकरण के समापन के बाद आपको प्रश्न पूछने का अवसर मिलेगा। यदि सम्मेलन कॉल के दौरान आपको सहायता की जरूरत हो तो कृपया टच टोन फोन पर "*" और उसके बाद "0" दबाकर ऑपरेटर को संकेत दे। कृपया नोट करें कि इस सम्मेलन को रिकॉर्ड किया जा रहा है। अब मैं सम्मेलन का मंच आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ लिमिटेड के श्री शांतनु चक्रवर्ती को देता हूं। धन्यवाद, अब मैं आपका स्वागत करता हूं, महोदय।
शांतनु चक्रवर्ती:	धन्यवाद करीना। देवियों और सज्जनों, नमस्कार। आज हमारे साथ यहां पर पॉवर फाइनेंस कार्पोरेशन के श्री एम.के. गोयल - सीएमडी, श्री आर. नागराजन - निदेशक (वित्त), सुश्री नलिनी वंजानी - ईडी (वित्त) और श्री के. श्रीधर - ईडी (वित्त) मौजूद हैं। ये लोग यहां पर वित्त वर्ष 2015 की पहली तिमाही में कंपनी के कार्य निष्पादन पर और भावी व्यवसायिक परिदृश्य के संबंध में आपके साथ चर्चा करने के लिए आए हैं कुछ चर्चा के बाद हम प्रश्नोत्तर सत्र करेंगे जिसमें सभी भागीदारों को उनसे सीधे प्रश्न पूछने का अवसर मिलेगा। आगे कुछ अधिक न बोलते हुए मैं यह मंच हमारे प्रतिष्ठित अतिथियों को देना चाहूंगा। आपका स्वागत है महोदय।
एम.के. गोयल:	सभी को नमस्कार। जैसाकि आप जानते हैं, हमारा पिछला निवेशक सम्मेलन मई, 2014 में मुंबई में हुआ था जब नई सरकार अभी बनी ही थी। इसलिए मैं, सबसे पहले विद्युत क्षेत्र के लिए नई सरकार की सोच और इस क्षेत्र में चुनौतियों का समाधान करने के लिए उनके द्वारा अब तक की गई पहलों के बारे में मुख्य-मुख्य बातें बताना चाहूंगा। जैसे कि घोषणा की गई थी, नई सरकार ने नि:संदेह आर्थिक विकास को गति देने के लिए अवसंरचना की वरीयता वाले क्षेत्र के रूप में पहचान की है और वह विद्युत क्षेत्र की समस्याओं का अधिक तेजी से समाधान कर रही है। मैं सबसे पहले इस क्षेत्र को गति देने के लिए नई सरकार द्वारा की गई विभिन्न पहलों के बारे में बताना चाहूंगा और यह पहलें कोयला, विद्युत और नवीकरणीय ऊर्जा के प्रभारी के रूप में एक मंत्री को बनाने के लिए सरकार की समन्वित नीति से प्रदर्शित होती है जिसमें सतत् पोषणीय समाधानों के लिए कोयला, विद्युत और नवीकरणीय ऊर्जा से संबंधित जुड़े हुए मामलों से निपटने के लिए काफी सामंजस्य बना हुआ है। जैसाकि आप जानते हैं कि विद्युत और कोयला दोनों के एक साथ जुड़े हुए प्रतिस्पर्धी मुद्दे होते हैं और यह आशा की जाती है कि दोनों संबंधित क्षेत्रों की समस्याओं का समाधान करने के लिए

	शीर्ष स्तर पर एक प्रभारी मंत्री के साथ इन मुद्दों का समाधान समन्वित ढंग से किया जाएगा। जैसाकि आप जानते हैं विद्युत क्षेत्र के सामने आने वाली सबसे बड़ी चुनौतियां ईंधन और वितरण कंपनियों की खराब वित्तीय हालत है। ईंधन के संबंध में चुनौतियों का समाधान करने के लिए सरकार द्वारा की गई कुछ मुख्य पहलें इस प्रकार है कि ई-नीलामी सीमा को 58 मिलियन टन से घटाकर 25 मिलियन टन करने का प्रस्ताव है। जिसका अर्थ है कि 33 मिलियन टन कोयला अब विद्युत क्षेत्र के लिए उपलब्ध होगा। कोयला लिंकेज को तर्कसंगत बनाने की एक प्रक्रिया चल रही है ताकि निकटतम संभव कोयला खान से कोयले की आपूर्ति की जा सके। इससे कोयले के परिवहन की क्षमता में वृद्धि होगी और विद्युत की लागत में कमी आएगी। मंत्रालय के भीतर एक कार्यबल गठित किया गया है जो देश में कोयला लिंकेज का अध्ययन करेगा। पर्यावरण और वन मंत्रालय और विद्युत मंत्रालय ने संयुक्त रूप से पर्यावरण संबंधी स्वीकृति के लिए लंबित परियोजना की समीक्षा की है और एक समन्वित ढंग से इस प्रक्रिया को गति देने के लिए समय-सीमा निर्धारित की है। पर्यावरण और वन मंत्रालय ने कोयला उत्पादन बढ़ाने के लिए लक्षित दिशा-निर्देश जारी किए हैं जिनमें सार्वजनिक सुनवाई के बिना एक सीमा तक मौजूदा खानों में अतिरिक्त खनन शामिल है। पास की खानों के लिए अलग अनुमोदन के बजाय समूह में स्वीकृति, क्षतिपूर्ति संबंधी वनीकरण को हटाना और जिला प्रशासन को साठ दिनों के भीतर बसावट का प्रबंधन और परियोजना की सहमति के लिए सशक्त बनाना शामिल है। विद्युत सुविधाओं को यह सलाह दी गई है कि जब भी आवश्यक हो आयातित कोयले का उपयोग करे और बढ़ी हुई लागत का टैरिफ में जोड़ दें। कोयले की उपलब्धता पर सरकार द्वारा उच्चतम स्तर पर निगरानी रखी जा रही है। सरकार भूति अधिग्रहण की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए राज्य सरकारों के साथ कार्य कर रही है क्योंकि कई बार हमने देखा है कि कोयले की खान के क्षेत्र के संबंध में भूति अधिग्रहण एक समस्या बन जाता है। कोल इंडिया और उसकी सहायक कंपनी नई परियोजनाओं से क्षमता वृद्धि और विशाल उत्पादन प्रौद्योगिकियों तथा कोयले के ब्लॉक के विकास की कड़ी निगरानी का प्रयोग करने समेत कोयला उत्पादन को बढ़ाने के लिए कार्य कर रही हैं। जहां तक गैस की कमी संबंधी चुनौती का संबंध है, सरकार इस समस्या के समाधान के लिए गंभीरता से कार्य कर रही है। गैस की कमी वाली विद्युत परियोजनाओं के पुनरूद्धार हेतु घरेलू गैस और आयातित आरएलएनजी के लिए पूलिंग तंत्र को अपनाने के बाद 5.5 प्रति यूनिट की इकाई लागत से

	कमोबेश अतिरिक्त लागत का वहन करने के लिए लगभग 5,700 करोड़ रुपये की सब्सिडी प्रदान करके लगभग 26,500 मेगावाट की क्षमता का प्रस्ताव है जो महीने के अंत तक लागू होने की संभावना है। वास्तव में मीडिया रिपोर्टों के अनुसार गैस पूलिंग के मुद्दे का समाधान करने के लिए पीएमओ, विद्युत सचिव और पेट्रोलियम मंत्रालय के सचिव की बैठक अगले हफ्ते होनी है। इसके अलावा, गैस आधारित परियोजना के लिए छूट प्राप्त ईसीबी मानकों, भुगतान पर तीन वर्ष की आस्थगित अवधि, ब्याज माफी आदि के साथ वित्तीय पैकेज का प्रस्ताव है। सरकार आसानी से प्राप्त होने वाले लाभों को प्राप्त करने की नीति के साथ बेकार पड़ी विद्युत परिसम्पत्तियों को उत्पादन करने वाली परिसम्पत्तियों में बदलने के लिए स्पष्ट रूप से कार्य कर रही है। नई सरकार ने हाल के केंद्रीय बजट के जरिए अपनी मंशा को बिल्कुल स्पष्ट भी कर दिया है जिसमें उसने विद्युत क्षेत्र के लिए अनेक उपायों की घोषणा की है। सरकार सभी के लिए 24x7 निर्बाध विद्युत के प्रति वचनबद्ध है। केन्द्रीय बजट में किए गए कुछ उपायों में इस क्षेत्र में निवेशों को बढ़ावा देने के लिए कर संबंधी लाभ, एटी एण्ड सी घाटों की भरपाई के लिए उपाय, नवीकरणीय ऊर्जा को तेजी से गति देने के लिए उपाय शामिल हैं।
	यद्यपि नई सरकार ईंधन संबंधी मुद्दे का समाधान कर रही है, तथापि उत्पादन क्षेत्र में कुछ सकारात्मक संकेत मिले हैं। जैसा कि आप जानते होंगे, क्षमता वृद्धि के मोर्चे पर Xवीं योजना ने 21 गीगावाट की क्षमता वृद्धि की थी जिसे XIवीं योजना में 55 गीगावाट तक बढ़ाया गया था। इस प्रकार इसमें ढ़ाई गुना वृद्धि हुई थी। वर्तमान XIIवीं पंचवर्षीय योजनावधि में पहले दो वर्षों के दौरान 88 गीगावाट के कुल योजना तक लक्ष्य के मुकाबले 43 गीगावाट की क्षमता वृद्धि हुई है। जिसका अर्थ है कि XIIवीं योजना के केवल दो वर्षों में 48% लक्ष्य को प्राप्त कर लिया गया है और इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि इसका 60% हिस्सा निजी क्षेत्र से आया है। प्रतिस्पर्धी बोली और निजी क्षेत्र की भागीदारी को सुकर बनाने के लिए सरकार ने दीर्घावधि, मध्यावधि और व्यस्त समय में विद्युत के दौरान विद्युत की खरीद के लिए आदर्श बोली दस्तावेजों को अंतिम रूप दिया है और जारी किया है। इससे ओडिशा और तमिलनाडु यूएमपीपीज़ के लिए अच्छी प्रतिक्रिया सुकर बनी है। इसलिए क्षमता वृद्धि की गति में ईंधन संबंधी चुनौती के समाधान के लिए नई सरकार द्वारा की गई पहलों को देखते हुए भविष्य में सुधार होने की संभावना है।

	अब, मैं आपको वितरण जो चिंता का एक अन्य प्रमुख क्षेत्र है, में हुई सकारात्मक गतिविधियों के बारे में बताना चाहूंगा, जैसाकि आप जानते होंगे राज्यों द्वारा पूर्व में टैरिफ में नियमित वृद्धि करना चिंता का एक प्रमुख क्षेत्र रहा है। टैरिफ में संशोधन नियमित नहीं होते हैं और जहां भी टैरिफ में संशोधन होते हैं, वे संशोधन पर्याप्त नहीं होते। नवम्बर, 2011 में एसईआरसीज़ द्वारा स्वत: एप्टेल के निर्देश के पश्चात राज्यों ने टैरिफ याचिकाएं दायर नहीं की हैं। हमने 2012-13 में देखा है कि सभी राज्यों ने टैरिफ आदेश जारी किए हैं। तमिलनाडु ने टैरिफ में 37% की वृद्धि की है। उत्तर प्रदेश, हरियाणा, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, आदि ने टैरिफ में 18% से 20% के बीच वृद्धि की है। 2013-14 के लिए, 29 राज्यों में से 26 राज्यों ने टैरिफ आदेश जारी किए हैं जिनमें आंध्र प्रदेश ने 23%, हरियाणा ने 13% और राजस्थान ने 11.3% की वृद्धि की है। जहां तक 2014-15 का संबंध है, 16 राज्यों ने पहले ही 15% तक की वृद्धि संबंधी टैरिफ आदेश जारी कर दिए हैं और 8 राज्यों ने अधिकतम 28% तक की वृद्धि के लिए टैरिफ याचिका दायर की है। हमने देखा है कि टैरिफ में संशोधन नियमित है और टैरिफ की राशि भी कुल मिलाकर पर्याप्त है। सरकार द्वारा अक्तूबर, 2012 में अधिसूचित एफआरपी पैकेज, एफआरपी कार्यान्वित करने वाले सात राज्यों अर्थात् उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, बिहार और झारखंड में बदलाव ला रहा है। 1.9 लाख करोड़ रुपये में से 1.2 लाख करोड़ रुपये का पहले ही पुनर्गठन किया गया है। 57,000 करोड़ रुपये के बॉड जारी किए गए हैं और 51,000 करोड़ रुपये के ऋण पुर्ननिर्धारित किए गए हैं। 46,500 करोड़ रुपये राशि की लगभग 97% सब्सिडी जारी की गई है जिसे इन राज्यों के लिए 2011-12 और 2012-13 में दर्ज किया गया है। भागीदार राज्यों में में पिछले तीन वर्षों में टैरिफ संशोधित किए हैं और डिशकोम द्वारा विद्युत की खरीद में लगभग 7% की वृद्धि देखी गई हैं। अत: एफआरपी के लाभ एफआरपी कार्यान्वित करने वाले राज्यों में देखे जा सकते हैं, जिनमें विद्युत आपूर्ति में उल्लेखनीय सुधार, नकद घाटों में कमी और मासिक आधार पर तत्काल सब्सिडी का भुगतान देखा जा रहा है। वितरण सुधार के लिए दूसरा अग्रणी कार्यक्रम आर-एपीडीआरपी योजना अर्थात पुर्नगठित तीव्र विद्युत विकास सुधार कार्यक्रम है जिसका लक्ष्य एटी एण्ड सी घाटों को 15% से कम करना है। हमने 1412 कस्बों की पहचान की है जिनमें 2001 की जनगणना के आधार पर 30,000 या उससे अधिक जनसंख्या है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत भाग क और भाग ख के अंतर्गत पात्र परियोजनाओं के लिए लगभग सभी मंजूरियां दे दी गई हैं जिनकी राशि मोटे तौर पर 39,000 करोड़ रुपये है जिसमें से

	लगभग 7,500 करोड़ रुपये पहले ही इन सुविधाओं को वितरित कर दिए गए हैंद्य कुल 1,412 कस्बों में से 632 कस्बों को वितरण प्रणालियों के आईटी समर्थकारी होने के लिए भाग-क के अंतर्गत गो-लाइव घोषित कर दिया गया है, जिसका अर्थ है कि वितरण ट्रासफार्मर स्तर जो वितरण व्यवसाय का सबसे निचला स्तर है पर ऊर्जा रिपोर्ट वितरण सुविधाओं के पास उपलब्ध है ताकि सबसे छोटी इकाई स्तर पर घाटे/लाभ का पता लगाया जा सके। इससे समस्या का समाधान करने और चोरी तथा अन्य खामियों को दूर करने के लिए सुधारात्मक उपाय करने में मदद मिलती है ताकि एटी एण्ड सी घाटों को प्रशासनिक उपायों के द्वारा दूर किया जा सके। इस प्रकार, गो-लाइव घोषित किए गए 632 कस्बों में से 376 कस्बों में प्रशासनिक उपायों के द्वारा केवल 7% से 8% तक के स्तर पर एटी एण्ड सी घाटे देखे गए हैं। इसलिए यह काफी शक्तिशाली कार्यक्रम है और इससे वांछित परिणाम प्राप्त होने की आशा है तथा इस कार्यक्रम को XIIवीं योजना के अंत तक पूरा कर लिए जाने की आशा है। दूसरी प्रक्रिया जो हमने शुरू की है वह वितरण कंपनियों की वार्षिक रेटिंग है ताकि वितरण कंपनियों को सुधार और कार्य करने के लिए प्रेरित किया जा सके और यह प्रक्रिया 2012-13 से की जा रही है जिसका समन्वयन पीएफसी द्वारा किया जा रहा है। इस रेटिंग में प्रचालन, वित्तीय सुधार और विनियामक मापदंडों पर एक समान नीति के आधार पर सभी वितरण कंपनियों का कार्य निष्पादन शामिल होता है। वित्त वर्ष 13 पर आधारित दूसरी रिपोर्ट के लेखों को पहले ही तैयार कर लिया गया है। वितरण कंपनियों द्वारा उपर्युक्त मापदंडों पर कार्य निष्पादन नहीं करने/अनुपालन नहीं करने से न केवल वितरण कंपनियों की रेटिंग प्रतिकूलत: प्रभावित होती है बल्कि बैंकों और वित्तीय संस्थानों द्वारा वितरण कंपनियों का वित्त पोषण भी प्रभावित होता है क्योंकि वे वितरण कंपनियों के वित्त पोषण के समय इन रेटिंग्स का प्रयोग करते हैं। दूसरी प्रमुख योजना राष्ट्रीय इक्विटी योजना है जो लगभग 8,500 करोड़ रुपये की सब्सिडी की ब्याज सब्सिडी योजना है जिसे 14 वर्षों के दौरान दिए जाने की परिकल्पना की गई है। पहले ही 26400 करोड़ रुपये की परियोजनाएं अनुमोदित की गई है और योजना प्रगति पर है। इसके अलावा, नई सरकार ने एटी एण्ड सी घाटों के राष्ट्रीय स्तर को 26% के मौजूदा स्तर से विभिन्न उपाय करके 2021-2022 तक 15% तक कम करने के लिए एक घाटा कमी मार्ग को अंतिम रूप दिया है जिनमें शामिल हैं ग्रामीण क्षेत्रों में विशेष रूप से कृषि उपयोग के लिए फीडर पृथक्करण स्कीम, उप-टी एण्ड डी में अंतर को कम करके पर्याप्त विद्युत निकासी प्रणाली स्थापित करना और 100% उपभोक्ता मीटरिंग हासिल करना। सभी राज्यों को ऊपर उल्लिखित उपायों का पालन करने या 2021-2022 तक अपने राज्य के एटी एण्ड सी घाटों को 15% के स्तर पर लाने तक के अंतिम उद्देश्य को हासिल करने, उनके

	राज्य के उपयुक्त सर्वोत्तम अन्य उपायों को अपनाने की सलाह दी गई है इसलिए यह वितरण सुविधाओं की खराब हालत के लिए एक अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्र है जिस पर नई सरकार द्वारा अनेक उपायों के जरिए ध्यान दिया जा रहा है। यह देखते हुए कि नई सरकार अनेक पहलों के साथ विद्युत क्षेत्र की चुनौतियों से निपटने के लिए तैयार है, मैं मानता हूं कि भविष्य में विद्युत क्षेत्र में टैरिफ वृद्धि नियमित होगी, एटी एण्ड सी घाटों में कमी आएगी और ईंधन की उपलब्धता में सुधार होगा। अत:, मैं काफी आशावादी हूं कि खराब दौर गुजर चुका है और मैं देख रहा हूं कि भविष्य में विद्युत क्षेत्र का पुनरूद्धार होगा। अपने वित्तीय आकड़ों पर आते हुए, चुनौतीपूर्ण माहौल के बावजूद वित्त वर्ष 15 की पहली तिमाही के दौरान हमारा कार्य निष्पादन उत्साहजनक रहा है। इस तिमाही में हमने अच्छी परिसम्पत्ति वृद्धि और अच्छे मार्जिनों द्वारा चालित ठोस लाभ को देखा है। वित्त वर्ष 15 की पहली तिमाही के दौरान, हमारे कर पश्चात लाभ (पीएटी) में पूर्ववर्ती वर्ष की पहली तिमाही के दौरान 1,198 करोड़ रुपये से 21% की वृद्धि के साथ 1,448 करोड़ रुपये की वृद्धि दर्ज हुई है जिसमें ऋण परिसम्पत्ति वृद्धि 1,67,000 करोड़ रुपये के मुकाबले 17% बढ़कर 1,95,000 करोड़ रुपये हो गई है। वित्त वर्ष 15 की पहली तिमाही के दौरान, हम 3.30% के अच्छे स्तर पर ब्याज को और 4.79% का एनआईएम बनाए रखने में सक्षम रहे हैं। तदनुसार तिमाही के लिए हमारे एनआईएम में 1,950 करोड़ रुपये में 17% की वृद्धि होकर 2,291 करोड़ रुपये हो गए हैं। परिसम्पत्तियों की गुणवत्ता के मोर्चे पर सकल और निवल एनपीए में कुछ वृद्धि हुई है जिसका कारण दो ऋण खातों का एनपीए में जाना है जिनमें से प्रमुख रत्नागिरी गैस और पॉवर है जहां हमने 722 करोड़ रुपये की भागीदारी की है जिनमें से 72 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। जैसा कि आप जानते है गैस की गति के कारण परियोजना ने उत्पादन बंद कर दिया था तथापि पीपीए के अनुसार स्थिर प्रभारों को वितरण कंपनी से वसूला जा सकता है। चूंकि घरेलू गैस उपलब्धता के संबंध में कोई स्पष्टता नहीं है इसलिए वितरण कंपनी स्थिर प्रभारों का भुगतान नहीं करना चाहती। इस विवाद को सरकार में उच्चतम स्तर पर निपटाया जा रहा है क्योंकि परियोजना कंपनी सरकार के स्वामित्व वाली कंपनियों जैसे एनटीपीसी और गैस द्वारा प्रबंधित है और उसमें प्रत्येक का 30% हिस्सा है तथा इस विवाद में राज्य सरकार की कंपनी एमएसईडीसीएल भी शामिल है। अत: हमें उम्मीद है कि इस मामले को या तो वितरण कंपनी द्वारा स्थिर प्रभारों का भुगतान करके निपटा लिया जाएगा या गैस की कमी के मुद्दे को सरकार द्वारा प्रस्तावित

	सब्सिडी से निपटा लिया जाएगा। एक दूसरा लघु एनपीए खाता ऑक्टेंड इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड जो 25 करोड़ रुपये के निवेश के साथ ओडिशा के संभलपुर में एक 10 मेगावाट की बायोमास परियोजना है, का है। जिसमें से 2 करोड़ रुपये का प्रावधान सृजित किया गया है। यह परियोजना निधि के प्रवाह की समस्या से बाधित है और इस समय कर्जदार परियोजना के लिए निधियां जुटाने का प्रयास कर रहा है और शीघ्र परियोजना को पूरा करना चाहता है। इसके साथ हमारा सकल एनपीए 1,974 करोड़ रुपये अर्थात् ऋण परिसम्पत्तियों का 1% बनता है और निवल एनपीए 1,616 करोड़ रुपये अर्थात् ऋण परिसम्पत्तियों का 0.83% बनता है। जहां तक पीएफसी द्वारा वित्तपोषित गैस आधारित परियोजनाओं का संबंध है हमारा गैस आधारित परियोजनाओं का कुल बकाया निवेश 1,95,000 करोड़ रुपये की ऋण बही के मुकाबले 3% अर्थात् लगभग 5,300 करोड़ रुपये है जिसमें निजी क्षेत्र का हिस्सा केवल 0.6% है। यह परियोजना कोनासीमा परियोजना में गैस की कमी के कारण बाधित है जो 415 करोड़ रुपये के ऋण निवेश के साथ पहले से एनपीए है और रत्नागिरी परियोजना 722 करोड़ रुपये की निवेश के साथ इस तिमाही में एनपीए बन गया है। केजी बेसिन से जुड़ी अन्य परियोजना गुजरात की राज्य विद्युत सुविधा है जिसमें हमे कोई समस्या नहीं दिखाई देती है। जहां तक पुर्नगठित ऋणों का संबंध है वित्त वर्ष 15 तिमाही 1 के दौरान 2,800 करोड़ रुपये मूल्य की तीन परियोजनाएं पुनर्गठित की गई थी, जिनमें केवल सीओडी में परिवर्तन या पुनरीक्षण किया गया है और कोई वित्तीय पुनर्गठन नहीं किया गया है। पहली अलकनंदा जल विद्युत परियोजना जिसमें 481 करोड़ रुपये बकाया है। यह एक ऐसी परियोजना है जो पिछले वर्ष उत्तराखंड में बाढ़ के कारण प्रभावित हुई है और वित्त मंत्रालय के निर्देशों के अनुसार सभी ऋणदाताओं ने एक वर्ष आस्थगन अवधि दे दी है इसलिए भुगतान अक्तूबर 2014 से शुरू होगा और परियोजना के वित्त वर्ष 15 तक शुरू हो जाने की संभावना है। दूसरी परियोजना 1,174 करोड़ रुपये के बकाये वाली इंड-भारत एनर्जी (उत्कल) है। यह परियोजना ट्रांसमिशन लाइनों को बिछाने में हुई देरी की वजह से प्रभावित है, इसलिए पुर्ननिधारित की गई है। तथापि, परियोजना की सकारात्मक बातें यह है कि इसमें सुदृढ़ एफएसए और पीपीए स्थापित है और व्यवहार्यता संबंधी कोई मुद्दा दिखाई नहीं देता है। निर्धारित सीओडी मार्च 2015 में है। तीसरी परियोजना 975 करोड़ रुपये की एस्सार पॉवर एमपी है। इसका निर्धारित सीओडी नवंबर 2014 में है और एस्सार पॉवर ट्रांसमिशन का बकाया 216 करोड़ रुपये है, जिसका निर्धारित सीओडी नवंबर, 2014 है। इस विद्युत परियोजना में देरी आबद्ध कोयला ब्लॉक की

स्वीकृति में देरी और स्थानीय आंदलनों के कारण हुई है और ट्रांसमिशन परियोजना में आरओडब्ल्यू की समस्या के कारण हुई है। पहली इकाई पहले से उत्पादन कर रही है और निर्धारित सीओडी नवंबर, 2104 में है। यह परियोजना अंतिम चरण में है। चरण-I और II के लिए वन संबंधी स्वीकृतियां पहले ही मिल गई है। शीघ्र ही खनन योजना अनुमोदित हो जाएगी और कोयले को निकालना मार्च-अप्रैल 2015 से शुरू होने की उम्मीद है। इसी बीच, ई-नीलामी से प्राप्त कोयला प्रयोग किया जा रहा है।

हमारी पूंजी पर्याप्तता 30 जून, 2014 को 17% टायर-I पूंजी के साथ 20.5% के स्तर पर मजबूत बनी हुई है।

जहां तक संसाधन जुटाने का संबंध है, हमने 8.82% की मामूली लागत पर वित्त वर्ष 15 तिमाही 1 के दौरान लगभग 8,600 करोड़ रुपये जुटाए हैं। हमने जुलाई 2014 से प्रतिभूतियों के निजी नियोजन के जरिए निधि जुटाने हेतु पोस्टल बैलेट के माध्यम से शेयर धारकों का अनुमोदन लेकर बॉडों के जरिए निधि जुटाना भी शुरू किया है।

इसके अलावा, हमने 250 मिलियन अमरीकी डॉलर का सामूहिक ऋण जुटाने के लिए ईसीबी रोड शो भी पहले ही आयोजित किया है।

वित्त वर्ष 2014 तिमाही-1 के दौरान हमारे व्यवसायिक कार्य निष्पादन के संबंध में हमने लगभग 10,000 करोड़ रुपये की मंजूरी दी है जो हमारे 55,000 करोड़ रुपये के वार्षिक लक्ष्य के अनुक्रम में है।

तिमाही के लिए संवितरणों के संबंध में हमने लगभग 8,282 करोड़ रुपये संवितरित किए हैं जो 8,235 करोड़ रुपये के पिछले साल के संवितरण के लगभग बराबर है। तथापि, यदि हम संक्रमणकालीन ऋणों जो किसी विशिष्ट प्रयोजन के लिए पिछले वर्ष के दौरान संवितरित किए गए थे, को अलग रखें तो तिमाही के दौरान तुलनीय संवितरण 26% तक बढ़कर 6,235 करोड़ रुपये से 7,857 करोड़ रुपये हो गया है।

इसके अलावा, हमारे पास 1,57,000 करोड़ रुपये की बकाया ऋण मंजूरी जो वित्त वर्ष 14 के संवितरण की तीन गुना है, इससे हमारे मजबूत व्यवसायिक भविष्य का संकेत मिलता है।

इसके अलावा, केन्द्र में नई सरकार बनने के साथ बाजारों में आर्थिक वृद्धि को बढ़ावा देने के लिए अवसंरचना को काफी बल देखने को मिला है इससे यह देखते हुए हमारे व्यवसाय में आगे और सुधार होने में मदद मिलेगी कि हम विद्युत क्षेत्र में एक प्रमुख कंपनी है और विद्युत क्षेत्र आर्थिक विकास की कुंजी है।

इससे पहले कि मैं प्रश्नों के लिए अपनी बात समाप्त करू, मैं चिंताओं के कुछ क्षेत्र

बताना चाहूंगा जो संभवत: आपके भी ध्यान में होंगे। पहला, दीर्घावधिक बॉड जुटाने के लिए बैंकों के आरबीआई संवितरण के संबंध में है। मैं मानता हूं कि आरबीआई के संवितरण में बैंकों को उनके एएलएम को प्रभावित किए बिना या कर्जदारों को और अधिक अनुकूल ऋण देकर अवसंरचना क्षेत्रों के लिए ऋण देने में मदद मिलेगी।

तथापि, इससे ऋण देने तथा ऋण लेने दोनों मोर्चों पर पीएफसी पर कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना नहीं है, क्योंकि पीएफसी अब भी कई मोर्चों पर बैंकों से आगे है। आरबीआई बैंकों के बीच ऐसे बॉडों की क्रॉस होल्डिंग नहीं देता है जबकि पीएफसी के लिए ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं है। बैंकों द्वारा केवल असुरक्षित बॉड जारी किए जाएंगे जबकि पीएफसी सुरक्षित बॉड भी जारी कर सकता है। दीर्घावधिक बॉड की न्यूनतम परिपक्वता अवधि सात वर्ष है और पीएफसी के लिए ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं है। किसी पुट या कॉल विकल्प के बिना केवल साधारण वनीला रूप में बॉड जारी करना संभव है जबकि पीएफसी के लिए यह उपलब्ध है। मौजूदा अवसंरचना पोर्टफोलियो के संबंध में एसएलआर और सीआरआर अपेक्षाओं से केवल 16% लाभ की अनुमति है जो मार्च 2020 तक धीरे-धीरे 100% तक बढ़ेगा। इसके अतिरिक्त, अवसंरचना क्षेत्र के लिए वृद्धिशील ऋण क्षेत्रीय सीमा के अधीन पूरा लाभ प्राप्त करेगा।

बैंक क्षेत्रीय सीमाओं द्वारा शासित होते हैं जो पीएफसी पर लागू नहीं है क्योंकि पीएफसी केवल विद्युत क्षेत्र के वित्तपोषण के लिए पूर्णत: समर्पित है। इसके अलावा, पीएफसी के पास उधार देने में भी बैंकों की तुलना में बढ़त है। संवितरण विद्युत क्षेत्र सहित विभिन्न अवसंरचना क्षेत्रों के लिए उपलब्ध है, इसलिए बैंकों से उस सीमा तक प्रतिस्पर्धा सीमित है। विद्युत क्षेत्र की धन की जरूरत काफी अधिक है इसलिए यह संभावना नहीं है कि इतनी अधिक ऋण की जरूरत के साथ पीएफसी को कोई खतरा है। इसके अलावा, पीएफसी सरकारी क्षेत्र के मामले में अपने निवल मूल्य के 150% तक उधार दे सकता है। 7-8 बैंकों केा छोड़कर अन्य सभी बैंकों का निवल मूल्य हमारे से कम है। इस समय हमारा निवल मूल्य 26,500 करोड़ रुपये है और हम बैंकों की तुलना में बेहतर एएलएम के कारण दीर्घावधिक ऋण दे सकते हैं।

समूह के रूप में पीएफसी के साथ परियोजना को वित्तीय रूप से बंद करना आसान है क्योंकि इसके लिए केवल दो-तीन ऋणदाताओं की जरूरत है। तथापि, कोई विकासकर्त्ता पीएफसी को शामिल नहीं करता है तो उसे परियोजना को वित्तीय रूप से बंद करने के लिए 7 से 8 बैंकों से अधिक की जरूरत होगी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पीएफसी इस क्षेत्र तथा इस क्षेत्र की कंपनियों की बेहतर समझ के साथ 28 वर्षों में निर्मित विशेषज्ञता सहित विद्युत क्षेत्र का वित्तपोषण करने वाला एक विशेष संस्थान है। यदि पीएफसी समूह का हिस्सा होता है तो बैंक भी कई गुणा सरल स्थिति में होते हैं।

उपर्युक्त सभी बातों को देखते हुए और पिछले 28 वर्षों के दौरान ग्राहकों के साथ पीएफसी के स्थापित संबंध के मद्देनज़र हमें दीर्घावधिक बॉड जुटाने के लिए बैंकों को संवितरण की

	अनुमति के कारण कोई खास जोखिम दिखाई नहीं देता है। एक अन्य मुद्दा, आरबीआई द्वारा मानकों के पुनर्गठन और पीएफसी पर उनके लागू होने से संबंधित है। ये मानक हम पर लागू नहीं होते हैं क्योंकि हम एक सरकारी कंपनी है। तथापि, आरबीआई ने दिनांक 3 अप्रेल, 2014 के पत्र द्वारा हमसे एनबीएफसी को जारी पुनर्गठन मानकों का अनुपालन करने के लिए कहा है। हमने अनुपालन के लिए पीएफसी की रूपरेखा के साथ कार्यान्वयन संबंधी समस्याओं पर ध्यान दिलाते हुए आरबीआई के साथ इस मुद्दे को उठाया है। विद्युत मंत्रालय ने भी विद्युत क्षेत्र के हित में हमारे प्रस्ताव को स्वीकार करने के लिए आरबीआई को पत्र लिखा है। आरबीआई ने हमारे अनुरोध पर अनुकूल रूप से विचार किया है और पहले ही हमें कुछ छूटें दे दी है जो यह है कि आरबीआई ने ट्रांसमिशन, वितरण, आर एण्ड एम, कार्यकाल विस्तार और हिमालयी जलविद्युत परियोजनाओं के लिए 31 मार्च 2017 तक पीएफसी को उसके खुद के/मौजूदा पुनर्गठन मानकों का पालन करने की अनुमति दे दी है। नए उत्पादन परियोजना ऋणों और 1 अप्रैल, 2015 के बाद के पुनर्गठित ऋणों से आरबीआई के उपबंधन संबंधी मानक प्रभावित होंगे। 31 मार्च, 2015 की स्थिति के अनुसार बकाया पुनर्गठित परियोजना ऋणों के संबंध में आरबीआई के उपबंधन संबंधी मानकों को 31 मार्च, 2018 तक धीरे-धीरे चरणबद्ध ढंग से लागू किया जाएगा। इस प्रकार ये वे प्रमुख चिंताएं हैं, जिन्हें मैंने आपके समक्ष रखने के लिए सर्वोत्तम समझा। इस प्रकार, अब हम प्रश्नों का जवाब देने के लिए तैयार है। धन्यवाद।

सभापति:	बहुत-बहुत धन्यवाद, महोदय। देवियों और सज्जनों, अब हम प्रश्नोत्तर सत्र क शुरूआत करेंगे। पहला प्रश्न इडलवाइज़ की सुरूचि चन्द्रा की ओर से है। कृपया अपना प्रश्न पूछे।
कुणाल शाह:	महोदय सबसे पहले पुनर्गठन के संबंध में, क्या इस तिमाही में कोई और पुनर्गठन था?
आर. नागराजन:	जैसाकि मैंने बताया, हमने पुनर्गठन किया है परंतु ऐसा केवल सीओडी में देरी के कारण हुआ है और तिमाही के दौरान कोई वित्तीय पुनर्गठन नहीं हुआ है। वित्त वर्ष 15 तिमाही-1 के दौरान लगभग 2,800 करोड़ रुपये की राशि की तीन पुनर्गठित परियोजनाओं जिनमें से अलकनंदा जल विद्युत परियोजना 481 करोड़ रुपये की है और इंड भारत एनर्जी (उत्कल) 1,174 करोड़ रुपये की है। परंतु इनमें से कोई भी पुनर्गठन, वित्तीय पुनर्गठन नहीं है।
कुणाल शाह:	जब हम पिछली बार प्रावधान करने की अनुप्रयोजता के बारे में बात करते हैं तो हमने 11,500 की समग्र पुनर्गठित पूल की बात पर ध्यान दिलाया है जिसमें से लगभग 9,700 चालू होने में देरी के कारण हुआ और लगभग 1,800 नकद प्रवाह के कारण हुआ है। इसलिए हमें लगभग 1,800 करोड़ रुपये के इस प्रकार के प्रावधान मानकों को बनाए रखने की जरूरत होगी।?

आर. नागराजन:	30 जून, 2014 की स्थिति के अनुसार, प्रमुख वापसी भुगतान से पहले परिसम्पत्तियों की ऐसी कुल राशि जिनका पुनर्गठन किया गया है, 10,147 करोड़ रुपये है और पुनर्गठन 3,059 करोड़ रुपये के प्रमुख वापसी भुगतान के शुरू होने के बाद किया गया है परंतु सीएमडी ने आपको पहले ही बताया है कि यद्यपि एस्सार महान एमपी और एस्सार पॉवर ट्रासमिशन ने एक या दो प्रमुख वापसी भुगतान किए हैं। तथापि इनके चालू होने में देरी के कारण इन्हें पुनर्गठित किया गया है। विभिन्न परियोजनाएं एस्सार पावर एमपी - 975 करोड़ रुपये, एस्सार पावर ट्रासमिशन - 216 करोड़ रुपये, कोनासीमा गैस एण्ड पावर - 415 करोड़ रुपये, सुजलोन एनर्जी - 1,098 करोड़ रुपये, इंडिया मेटल एण्ड फेरो ऐलॉयस - 283 करोड़ रुपये, एमपी पावर - 27 करोड़ रुपये और ओडिशा पावर कंर्सोटियम - 44 करोड़ रुपये है जिनका कुल योग 3,059 करोड़ रुपये है। जहां तक प्रावधान करने का संबंध है, जैसाकि सीएमडी ने पहले ही बताया है कि आरबीआई ने हमें छूट दी है कि यदि 31 मार्च, 2015, की स्थिति के अनुसार बकाया दर्ज होता है तो हम 2.75% की दर से प्रावधान कर सकते हैं और 31 मार्च, 2018 तक उसे 5% तक बढ़ा सकते हैं।
कुणाल शाह:	महोदय, फिर उन पुनर्गठनों का क्या होगा जो राज्य विद्युत सुविधा ऋणों में किए गए हैं?
आर. नागराजन:	वास्तव में, हमने 3 जुलाई, 2014 को आरबीआई को पत्र भी लिखा है और आरबीआई को यह स्पष्ट किया है कि हमारा कार्यान्वयन कैसे होगा। हमने आरबीआई को सूचित किया है कि 31 मार्च, 2015 तक हिमालयी क्षेत्र के जल विद्युत संयंत्रों को छोड़कर उत्पादन परिसम्पतियों के लिए हम अपने विवेकाधीन मानकों का पालन करेंगे और हमारे विवेकाधीन मानकों के अनुसार राज्य सरकार के पुनर्गठन को पुनर्गठन नहीं माना जाता है और यही कारण है कि हम केवल निजी क्षेत्र के बारे में बात कर रहे हैं।
कुणाल शाह:	परंतु यह केवल मार्च तक के लिए है?
आर. नागराजन:	बकाया ऋण बही 31 मार्च, 2015 की है।
कुणाल शाह:	परंतु महोदय, उसके बाद 2018 उसके बाद से हम क्या देखेंगे?
आर. नागराजन:	01.04.2015 के बाद मंजूर और पुनर्गठित किसी नए लोन, यदि वह उत्पादन परिसम्पत्तियों के लिए है, के लिए हम उस पर चाहे वह राज्य क्षेत्र का हो या निजी क्षेत्र का, उन पर विचार किए बगैर सीधे केवल 5% की दर लागू करेंगे।
कुणाल शाह:	महोदय, पूरे रतनागिरी डाभोल के बारे में क्या हुआ, समस्या क्या रही है और यह कब तक हल हो जाएगी।
आर. नागराजन:	सीएमडी ने आपको पहले ही बातया है। इसके अलावा, आरबीआई दिशानिर्देशों के अनुसर, यदि किसी टीआरए खाते जिसमें सारा धन एक ही खाते में जमा हुआ हो तो किसी समूह के विभिन्न ऋणदातओं के बीच अनुपातिक आधार पर आबंटित किया जाना चाहिए। मान जीजिए, किसी कर्जदार ने31 मार्च तक एक ऋणदाता को भुगतान किया है, तो उसे सभी ऋणदाताओं को भुगतान करना चाहिए। रत्नागिरी के मामले में प्रमुख बैंकर आईडीबाई है, और टीआरए बैंकर

	एसबीआई है। बैंक बकायों का भुगतान हो गया है परंतु पीएफसी बकायों का नहीं। इसलिए हमारे अक्तूबर के बकाये अभी तक नहीं चुकाए गए हैं और हमने इस मामले को आईडीबाआई के साथ उठाया है। दूसरी बात जैसा कि सीएमडी ने आपको बताया है कि आज के अखबार की रिपोर्ट में कहा गया है कि 19 अगस्त को गैस आधारित विद्युत संयंत्रों की समस्या के समाधान के लिए पीएमओ में बैठक में की जानी चाहिए। हमें उम्मीद है कि इस वजह से भी सितम्बर या अक्तूबर 2014 तक कोई न कोई समाधान हो जाएगा।

कुणाल शाह:	अब अभी के लिए हम कोई ऐसा दूसरा खाता देख रहे हैं जो निगरानी के अधीन होगा या जिसे निगरानी सूची के अधीन जाया जा सकता हो?
आर. नागराजन:	हमने पहले ही अनेक बार बताया है कि लेंको समूह हमारी निगरनी सूची में अब भी है। तथापि, आशावादी बात यह है कि उडिपी पावर को अडानी को बेचा जा रहा है। मुझे उम्मीद है कि इससे कतिपय मुद्दों का हल हो जाएगा।
कुणाल शाह:	ठीक है, तो लैंको को छोड़कर कोई खास बात नहीं है। मैं समझता हूं कि रत्नागिरी के बकाये भी अक्तूर से नहीं दिए गए हैं, क्या कोई समान संकेत है?
आर. नागराजन:	जी नहीं, क्योंकि हम सरकारी परियोजना पर कार्य कर रहे हैं, जिस में आईडीबीआई अग्रणी बैंक है और एमएसईडीसीएल जो एक सरकारी कंपनी हे टीआरए खाते के लिए भुगतान कर रहा है। इसलिए, यह दायित्व टीआरए बैंकर का है और अग्रणी बैंक को यह सुनिश्चित करना है कि बकायों का पूरी तरह से भुगतान किया जाए इसलिए हम यह मामला आरबीआई के साथ उठा रहे हैं।
कुणाल शाह:	ठीक है, तो यहां हम 70 का प्रावधान और ...?
आर. नागराजन:	हमने 72 करोड़ रुपये उपलब्ध कराए है और आय के प्रतिगमन के कारण 69 करोड़ रुपये गंवाए है। यदि कोई खाता एनपीए है तो हमें बीमांकिक आधार पर पहले से दर्ज आय को वापस लेना पड़ता है इसलिए 72 करोड़ रुपये जमा 69 करोड़ रुपये हमने गंवाए हैं। अन्यथा हमारा लाभ और अधिक होता मतलब लगभग 1,448 करोड़ रुपये के बजाय लगभग 1,560 करोड़ रुपये ।
कुणाल शाह:	बहुत-बहुत धन्यवाद
सभापति:	धन्यवाद। हमारा अगला प्रश्न आनंद राठी के श्री केटव शाह की ओर से है। कृपया अपना प्रश्न पूछें।
केटव शाह:	धन्यवाद महोदय। क्या आप अगले छह से नौ महीने के दौरान पुनर्गठन के लिए भावी योजना के बारे में संक्षेप में बता सकता हैं?
आर. नागराजन:	वास्तव में आप भी जानते हैं कि हम केवल पिछली बातों पर चर्चा कर सकते हैं और भविष्य के बारे में नहीं इसलिए हम इसके बारे में बात नहीं करेंगे।

केटव शाह:	मध्यावधि परिप्रेक्ष्य की दृष्टि से विद्युत क्षेत्र की रूपरेखा कैसी है और आपने जैसा उल्लेख किया कि खराब दिन बीत गए हैं परंतु मेगावाट की दृष्टि जिन्हें आप बढ़ाने की उम्मीद करते हैं, ईंधन, के अनुसार भावी योजना क्या है। मैं बिल्कुल विशिष्ट रूप से पूछता हूं, महोदय?
आर. नागराजन:	हमने आपको पहले ही बताया है कि सरकार अनेक उपाय कर रही है। कोयले के मामले में वे राज्य सरकारों, पर्यावरण मंत्रालय के साथ शीघ्र स्वीकृति, मौजूदा कोयला खानों में अधिक खनन के लिए बातचीत कर रही है। सरकार भारी उत्पादन की प्रौद्योगिकियों का प्रयोग करके क्षमता को बढ़ाने की योजना बना रही है और इसके अलावा तात्कालिक उपाय के रूप में उच्च लागत वाले आयातित कोयले की अनुमति दी गई है और उच्च लागत वाले इस ईंधन की लागत टैरिफ में जोड़ दी जाएगी। गैस के संबंध में जैसाकि मैंने आपको पहले बताया है लगभग दैनिक आधार पर इस मामले पर सर्वोच्च स्तर पर ध्यान दिया जा रहा है। अब 19 अगस्त को एक बैठक होनी है जिसमें पीएमओ, विद्युत सचिव और पेट्रोलियम गैस सचिव संभवत: आयातित एलएनजी और घरेलू गैस का प्रयोग करके इसका समाधान निकालने का प्रयास करेंगे। कोयले की उपलब्धता के संबंध में सरकार ने पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि मार्च,2015 तक मंजूर हुए सभी संयंत्रों को कोयला आबंटन दिया जाएगा। इसलिए, जिससे निकट भविष्य में चालू होने वाली परियोजनाओं को ईंधन की कमी से ग्रस्त नहीं होना पड़ेगा।
केटव शाह:	धन्यवाद।
सभापति:	धन्यवाद। हमारा अगला प्रश्न एंटीक स्टॉक ब्रोकिंग के दिगांत हरिया की ओर से है, कृपया प्रश्न पूछें।
दिगांत हरिया :	महोदय, केवल पुनर्गठन दिशानिर्देशों के संबंध में एक स्पष्टीकरण, अब हम पुर्ननिर्धारण के 3,089 करोड़ रुपये के संबंध में 2.75% प्रदान करेंगे ऐसा नकद प्रवाह की समस्या के कारण है और हम यह 2.75% कब प्रदान करेंगे?
आर. नागराजन:	31 मार्च, 2015 की स्थिति के अनुसार, हमें प्रदान करना होगा।
दिगांत हरिया :	तो महोदय, इस वर्ष हम 2.75% देंगे और अगले तीन वर्षों में धीरे-धीरे 5% देंगे?
आर. नागराजन:	31 मार्च, 2018 तक।
दिगांत हरिया:	केवल एक और बात चालू होने की तारीखों में देरी और नकद प्रवाह दोनों के कारण कुल पुनर्गठित परियोजना की राशि मिलाकर 10,147 करोड़ रुपये है, ठीक है?
आर. नागराजन:	कुल 13,206 करोड़ रुपये है।
दिगांत हरिया:	मेरी बात पूरी हो गई, धन्यवाद।
सभापति:	धन्यवाद। हमारा अगला प्रश्न इक्वीरस सिक्योरिटीज़ के देवम मोदी की ओर से है, कृपया प्रश्न पूछें।

देवम मोदी:	महोदय, क्या आप ब्यौरा दे सकते हैं कि वित्त वर्ष 15 और 16 पोर्टफोलियो के लिए मिलियन रुपये और मेगावाट में निर्माण क्षमता के अंतर्गत मंजूर क्षमता कितनी है?
आर. नागराजन:	**मेगावाट के अनुसार वित्त वर्ष 14-15 के लिए** 23362 मेगावाट है और वित्त वर्ष 15-16 के लिए 15785 मेगावाट है, रुपये के अनुसार वित्त वर्ष 14-15 के लिए 47,311 करोड़ रुपये है और वित्त वर्ष 15-16 के लिए 23,861 करोड़ रुपये है।
देवम मोदी:	महोदय, केन्द्रीय और निजी क्षेत्र की परियोजनाओं के आधार पर प्रतिशत रूप में अलग-अलग ब्यौरा क्या है?
आर. नागराजन:	राज्य/केन्द्रीय/संयुक्त क्षेत्र के मामले में वित्त वर्ष 14-15 में संभावित मंजूरी 36,326 करोड़ रुपये है और वित्त वर्ष 15-16 में यह 16,770 करोड़ रुपये है। निजी क्षेत्र के मामले में संभावित मंजूरी वित्त वर्ष में 10,985 करोड़ रुपये तथा वित्त वर्ष 15-16 में 7,091 करोड़ रुपये है। मेगावाट के रूप में राज्य/केन्द्रीय/संयुक्त क्षेत्र के मामले में वित्त वर्ष 14-15 में 8891 मेगावाट और वित्त वर्ष 15-16 में 7130 मेगावाट है। निजी क्षेत्र के मामले में वित्त वर्ष 14-15 में यह 14471 मेगावाट है और वित्त वर्ष 15-16 में 8655 मेगावाट है।
देवम मोदी:	इसका मतलब है कि वित्त वर्ष 15 और वित्त वर्ष 16 में लगभग 23000 मेगावाट के लिए निजी क्षेत्र को मंजूरी मिलने की संभावना है।
आर. नागराजन:	जी हां।
देवम मोदी:	महोदय, एस्सार पावर और अभिजीत ग्रुप जैसे कुछ अन्य नामों के बीच लेंको को छोड़कर वे हमारे पोर्टफोलियो में कैसा कार्य कर रहे हैं?
आर. नागराजन:	एस्सार पावर एमपी और एस्सार ट्रासमिशन को मंजूरी में देरी के कारण पुनर्निधारित किया गया है और इनके नवंबर 14 में पूरा होने की संभावना है और चूंकि हमने ऋण का पुनर्गठन कर दिया है तो आज की तारीख में कोई समस्या नहीं है।
देवम मोदी:	अभिजीत ग्रुप के संबंध में महोदय?
आर. नागराजन:	अभिजीत ग्रुप के संबंध में हमने कॉरपोरेट पावर को कोई धनराशि नहीं दी है। जस इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में 217 करोड़ रुपये वितरित किए गए और हमारे ऊपर बकाया है। आईडीसी के प्रावधान को ऋणखाते से घटाया जा रहा है। तथापि एक्सिस बैंक किसी पक्षकार को परिसम्पत्तियां बेचने का प्रयास कर रहा है इसलिए हम भी उसी के साथ जा रहे हैं। इसके अलावा, वह एक मानक परिसम्पत्ति है।
देवम मोदी:	अंतत: क्या आप हमें संक्रमणकालीन ऋणों के बारे में बता सकते हैं, इस ऋण पर चालू शेष और ब्याज दर कितनी है?
आर. नागराजन:	30 जून, 2014 के अनुसार 20,584 करोड़ रुपये की राशि बकाया है। जैसाकि हमने आपको अनेक बार बताया है ब्याज दर 12.5% है जिसे हम सभी राज्यों के लिए संक्रमणकालीन वित्तपोषण पर प्रभारित करते हैं।

देवम मोदी:	बहुत-बहुत धन्यवाद महोदय। मेरी बात समाप्त हुई।
सभापति:	धन्यवाद। अब हम अगला प्रश्न लेंगे जो जेएम फाइनेंशियल के अमय साठे की ओर से है। कृपया प्रश्न पूछें।
अमय साठे:	महोदय क्या गैस आधारित निवेश में अन्य परियोजनाएं लेना संभव है, जैसा आपने कोनासीमा और रत्नागिरी गैस को दिया है, जोकि अन्य परियोजना है?
आर. नागराजन:	निजी क्षेत्र के मामले में, वाडीनार पावर कंपनी - 683 करोड़ रुपये, कोनासीमा गैस एण्ड पावर - 415 करोड़ रुपये और अबन पावर कंपनी - 15 करोड़ रुपये है। राज्य/केन्द्रीय/संयुक्त क्षेत्र के मामले में, विभिन्न कर्जदार प्रगति पावर, रत्नागिरी, राजस्थान, तमिलनाडु, असम और गुजरात की सुविधाएं हैं।
अमय साठे:	क्या आपको गैस की उपलब्धता के संबंध में कोई जोखिम नहीं दिखाई देता है?
आर. नागराजन:	रत्नागिरी जोखिम है जैसा हमने आपको बताया। शेष खातों में, एस्क्रो खाता है जिसमें नकद प्रवाह आ रहा है, इसलिए चाहे वह गैस आधारित विद्युत संयंत्र हो या तापीय विद्युत संयंत्र या जल विद्युत संयंत्र हमे राज्य क्षेत्र के कर्जदारों में कोई समस्या नहीं दिखाई देती है, जहां उन्हें वापसी भुगतान के लिए अलग परियोजनाएं देनी पड़े। तथापि, रत्नागिरी के मामले में, उनके पास केवल एक खाता है और उन्हें एमएसईडीसीएल से पहले ही एक भुगतान मिल गया है।
अमय साठे:	महोदय, आपकी निधि की लागत किसी विशेष कारण से क्रमानुसार 20 आधार बिन्दुओं तक अधिक है?
आर. नागराजन:	निधि की लागत में वित्त वर्ष 14 की तिमाही-4 में 8.75% से वित्त वर्ष 15 की तिमाही-1 में 8.95% की वृद्धि हुई है। मार्च 14 में हमने, अपने ऋणों की शर्त के अनुसार हम पर लागू प्रतिबंध के कारण बैंकों से निधि ली थी, उस शर्त के अनुसार पीएफसी का सुरक्षित ऋण अनुपात निवल मूल्य के 85% से अधिक नहीं होगा और जून 2013 में आरबीआई ने दिशानिर्देश जारी किए कि पीएफसी और आरईसी जैसे संस्थानों द्वारा केवल सुरक्षित बॉड ही जारी किए जाने चाहिए। हमने आरबीआई के साथ यह मामला उठाया और आरबीआई ने अप्रैल 14 में ही स्वीकृति दी। मार्च 14 के बाद से हमने सुरक्षित बॉडों की सीमा को पहले ही पूरा कर लिया है। संवितरण के प्रयोजनार्थ शेष राशि को बैंकों से ऋण लिया गया, जैसा आप जानते हैं कि बैंकों की ब्याज दर लगभग 9% से 10.25% तक है और में वित्त वर्ष 14 की तिमाही-4 के दौरान हमने ऋण लिया इसक पूरा प्रभाव वित्त वर्ष 15 की तिमाही-1 में देखने को मिला। दूसरी बात, इस तिमाही में हम कर मुक्त बॉड जारी नहीं कर सकें जबकि में वित्त वर्ष 14 की तिमाही-3 में जारी करमुक्त बॉडों का पूरा लाभ वित्त वर्ष 14 की तिमाही-4 में प्राप्त हुआ था। इसी वजह से लागत 20 आधार बिन्दुओं तक बढ़ गई।
अमय साठे:	ठीक है और मैं यह समझता हूं कि आप यह बता रहे हैं कि इस मुद्दे का सही ढ़ग से समाधान हो गया है?

आर. नागराजन:	अप्रैल 14 में आरबीआई ने हमे अप्रतिभूति युक्त बॉड जारी करने की अनुमति दी। तथापि, कंपनी अधिनियम में बदलाव के कारण निजी नियोजन आधार पर बॉड जारी करने के प्रयोजनार्थ शेयरधारकों का अनुमोदन जरूरी था। इसलिए हमने शेयरधारकों का अनुमोदन लिया जैसाकि सीएमडी ने बताया है और जुलाई 14 के बाद से हम अप्रतिभूतियुक्त अपरिवर्तनीय डिबेंचर जुटाने में सक्षम हुए।
अमय साठे:	बहुत-बहुत धन्यवाद महोदय।
सभापति:	धन्यवाद। अब हम अगला प्रश्न लेंगे जो कोटक सिक्योरिटीज़ के निश्चिन्त चवाथे की ओर से है। कृपया प्रश्न पूछें।
निश्चिन्त सी.:	महोदय, तिमाही के दौरान आपने यवतमाल में जीनभूविश पावर जनरेशन नामक एक कंपनी को ऋण की मंजूरी दी है। तो क्या यह सच है कि इस ऋण की मंजूरी के विरूद्ध आर्थिक अपराध संबंधी कोई जांच हुई है और कंपनी का विधि बोर्ड इसके विरूद्ध है?
आर. नागराजन:	हमें इसकी जानकारी नहीं है क्योंकि आरईसी इस समूह का अग्रणी रहा है।
निश्चिन्त सी.:	धन्यवाद
सभापति:	धन्यवाद। अगला प्रश्न नटवर लाल एण्ड सन्स के समीर दलाल की ओर से है। कृपया अपना प्रश्न पूछें।
समीर दलाल:	आपने टैरिफ संशोधन कैसे किया गया था और एपीडीआरपी कार्यक्रम की प्रगति कैसी चल रही है के बारे में काफी कुछ बताया। मैं यह जानना चाहता हूं कि वितरण कंपनियों के लिए पिछले वर्ष की तुलना में वर्तमान वर्ष के घाटे में कितनी कमी आई है और इस मार्गदर्शन से किस प्रकार के लाभ मिल रहे हैं?
एम.के. गोयल:	इन उपायों को अब किया जा रहा है और वास्तव में घाटों में कमी जैसा कि मैने आपको बताया केवल प्रशासनिक उपायों द्वारा की गई है परंतु घाटों में कमी का अंतिम आकड़ा परियोजना के भाग-ख, जो प्रणाली उन्नयन योजना है और कुछ राज्यों में अब कार्यान्वित की जा रही है, के कार्यान्वयन के पश्चात ज्ञात होगा। एक बार ऐसा कर लेने के बाद और उसके बाद परियोजना के भाग-क जो आईटी समर्थकारी प्रणाली है के पहले से कार्यान्वयन की मदद से घाटों में कमी आधारिक आंकड़ों के संबंध में मापी जाएगी और उसके बाद सुविधा द्वारा घाटों में कमी का आंकड़ा सूचित किया जाएगा। अभी के लिए केवल भाग-क पूरा किया गया है और भाग-ख के कार्यान्वित होने से पहले घाटों में कमी का आंकड़ा हम बता नहीं सकते हैं। तथापि इन सभी उपायों के परिणाम आगामी वर्षों में प्रदर्शित होंगे और भविष्य में हमें घाटों में कमी का अनुमान है।
समीर दलाल:	वर्तमान घाटों की अनुमानित राशि लगभग कितनी है?
एम.के. गोयल:	लगभग 25%.

समीर दलाल:	दूसरी बात यह कि आपने बताया कि सभी वितरण कंपनियों ने विद्युत की कीमत बढ़ा दी है, ये कीमतें कितनी बढ़ायी गई है और इससे मौद्धिक रूप, न कि आवश्यक रूप से विद्युत के नुकसान के रूप में वितरण कंपनियों के घाटे में कितनी कमी आएगी?
एम.के. गोयल:	वित्त वर्ष 14 के संबंध में घाटे का आंकड़ा अभी उपलब्ध नहीं है क्योंकि वित्त वर्ष 14 के वार्षिक लेखों को अभी सार्वजनिक नहीं किया गया है। जैसा आप जानते है हम सुविधाओं के वार्षिक कार्य निष्पादन की रिपोर्ट ला रहे हैं और वित्त वर्ष 13 के आंकड़े सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध है परंतु वित्त वर्ष 14 के अंतिम लेखापरीक्षित लेखों के हमारे पास उपलब्ध नहीं होने के कारण वित्त वर्ष 14 के आंकड़े नहीं हैं इसलिए यह कहना मुश्किल होगा परंतु इन सभी उपायों से घाटे में कमी होने की उम्मीद है और सुविधाओं के वार्षिक लेखों के ज्ञात होने पर ही अंतिम आंकड़ा ज्ञात होगा।
समीर दलाल:	प्रावधान के संबंध में आखिरी प्रश्न, आपने बताया कि कुल पुनर्गठित जमा पुनर्निधारित 13,206 करोड़ रुपये है, जिसमें से लगभग 2,600 करोड़ रुपये वर्ष की शेष अवधि के लिए वर्तमान प्रावधान हेतु है। हमारे लिए यह मानना सुरक्षित होगा कि आपको 13,206 करोड़ रुपये की पूरी राशि तक पहुंचने के लिए 2.75% की दर तक पहुंचना होगा।?
आर. नागराजन:	10,147 करोड़ रुपये की राशि की किसी प्रावधान के लिए कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आरबीआई के मानकों के अनुसार भी मंजूरी में देरी के कारण मूल धन के स्थगित होने पर भी उसे पुनर्गठन नहीं माना जाता है। केवल ऋण के मामले में जहां वापसी भुगतान शुरू हो गया है और उसके बाद हमने ऋण को पुनर्गठन किया है अर्थात् लगभग 3,059 करोड़ रुपये, तो हमे यह सुनिश्चित करना होगा मार्च 2015 तक हमने 2.75% दर से उसे प्रदान किया है। इसमें से कोनीसीमा और एमपी पावर पहले से एनपीए है इसलिए हमने उनके लिए पहले ही प्रावधान कर दिया है। इस प्रकार शेष राशि के संबंध में हमें 2.75% की दर उपलब्ध करानी होगी
समीर दलाल:	इससे बात स्पष्ट होती है, धन्यवाद।
सभापति:	धन्यवाद। अगला प्रश्न जेफरीज़ के निरंजन कारफा की ओर से है, कृपया प्रश्न पूछिए?
निरंजन कारफा:	मेरा प्रश्न लेने के लिए धन्यवाद। दो प्रश्न है, पहला आपके लेखों संबंधी टिप्पणों के बिन्दु संख्या पाँच यह सुझाव देता है कि ऋण संकेंद्रण की किसी भी तरह से मार्च 2016 तक अनुमति दी जानी चाहिए। क्या हम आपके वर्तमान के शीर्ष तीन निवेशों में मदद करने में सक्षम होंगे और आप भविष्य में इस समस्या से कैसे निपटना चाहते हैं?
आर. नागराजन:	ऋण बकायों के अनुसार शीर्ष तीन सुविधाएं राजस्थान, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश की हैं।
निरंजन कारफा:	निवल मूल्य में उनका प्रतिशत कितना है?
आर. नागराजन:	हमारा निवल मूल्य 26,472 करोड़ रुपये है और राजस्थान में सुविधा के बकाया ऋण परिसम्पत्तियां 14,902 करोड़ रुपये अर्थात लगभग 56% हैं, महाराष्ट्र में 12,344 करोड़ रुपये अर्थात लगभग 47% और मध्य प्रदेश जेनको में 9,400 करोड़ रुपये अर्थात लगभग 36% हैं। 2009 में भी, राज्य क्षेत्र में वित्तपोषण प्रतिबंधित था। हम राज्य उत्पादन कंपनी को दिए गए

	ऋणों के संबंध में 01.04.2016 से नए मानकों का पालन कर सकते हैं और इसलिए पुराने ऋणों को उनके वापसी भुगतान हो जाने तक जारी रखेंगे। नए निवेश के संबंध में, हम मानकों का पालन करने में सक्षम रहेंगे क्योंकि यदि हमें 31 मार्च, 2016 की स्थिति के अनुसार निवल मूल्य का 20% के मौजूदा निवेश को कम करने को कहा जाता है, तो हम कोई व्यवसाय नहीं कर सकते हैं।
निरंजन कारफा:	जी हाँ। यही बात मै समझाना चाह रहा हूँ। इसलिए जब तक कोई विस्तार या केवल नए ऋण पर नहीं दिया जाता है।
आर. नागराजन:	हम यह अनुरोध कर सकते हैं कि पूराने ऋणों के संबंध में हमने निवेश नहीं बढाएंगे और कोई नया ऋण नहीं देंगे।
निरंजन कारफा:	दूसरी बात महोदय, आप इस बात से सहमत होंगे कि वतर्मान पंचवर्षीय योजना में ट्रांसमिशन और वितरण में निवेश की आपकी संभावना काफी अधिक होगी और उसके बाद उत्पादन होगा और यह देखते हुए कि पूर्व में उत्पादन हमेशा से काफी अधिक रहा है, क्या ऐसी कोई योजना है कि आप ट्रांसमिशन और वितरण के क्षेत्र में भी जाने का प्रयास करेंगे?
आर. नागराजन:	देखिए, निवेश चाहें उत्पादन में, ट्रांसमिशन और वितरण में हो वह विद्युत क्षेत्र में निवेश पर निर्भर करता है। यदि विद्युत क्षेत्र में उत्पादन में निवेश बढ़ रहा है तो निश्चित रूप से उत्पादन में हमारा हिस्सा अधिक होगा। इसलिए, यह इस बात पर निर्भर करता है कि ट्रांसमिशन और वितरण के क्षेत्र में कितना निवेश हो रहा है। जैसा कि आप जानते हैं, ट्रांसमिशन क्षेत्र में, प्राथमिक रूप से प्रमुख निवेश पावरग्रिड से किया गया है। पावरग्रिड एक केन्द्रीय ट्रांसमिशन सुविधा है और ऐएफसी की तरह है, इसलिए हमारा वित्तपोषण पावरग्रिड की ओर नहीं जाता है। यही कारण है कि ट्रांसमिशन क्षेत्र में हमारा निवेश कुछ खास नहीं है। जहां तक वितरण क्षेत्र का संबंध है, जब भी राज्य की सुविधाएं हमसे संपर्क करती हैं, हम उन्हें ऋणों की मंजूरी दे रहे हैं।
निरंजन कारफा:	बहुत-बहुत धन्यवाद महोदय।
सभापति:	धन्यवाद। अगला प्रश्न नोमुरा के अरचित सिंघल की ओर से है। कृपया अपना प्रश्न पूछिए।
अरचित सिंघल:	मौका देने के लिए धन्यवाद। महोदय मेरा प्रश्न एफआरपी पर हस्ताक्षर करने वाले राज्यों से संबंधित है। मैं वित्त वर्ष 15 में विशेष रूप से राजस्थान, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु के लिए टैरिफ वृद्धि के संबंध में थोड़ी स्पष्टता चाहता हूं, यदि आप इसे थोड़ा स्पष्ट कर सकते हों तो स्पष्ट करें?
आर. नागराजन:	उत्तर प्रदेश ने टैरिफ संबंधी याचिका दायर की परन्तु उसे आदेश नहीं मिला। तमिलनाडु ने टैरिफ संबंधी याचिका दायर की और उनके विनियामक आयोग ने मौजूदा टैरिफों को जारी रखने के लिए स्वत: आदेश जारी किया है। राजस्थान ने 22**%** वृद्धि के लिए टैरिफ संबंधी याचिका दायर की है।
अरचित सिंघल:	महोदय उत्तर प्रदेश में प्रस्तावित वृद्धि कितनी है?

आर. नागराजन:	उत्तर प्रदेश ने 9.25% से 11.78% की वृद्धि के लिए टैरिफ संबंधी याचिका दायर की है।
अरचित सिंघल:	धन्यवाद महोदय।
सभापति:	धन्यवाद हमारा अगला प्रश्न आईआईएफएल के अभिषेक मुरारका की ओर से है। कृपया अपना प्रश्न पूछिए।
अभिषेक मुरारका:	नमस्कार। वास्तव में मुझे आने में थोड़ी देर हो गई और आपने अभी कहा कि 3,059 करोड़ रुपये के सभी पुनर्गठित खातों की सूची दी है क्या आप कृपया उन्हें पुन: दोहराएंगे?
आर. नागराजन:	एस्सार पावर एमपी - 975 करोड़ रुपये, एस्सार पावर ट्रासमिशन - 216 करोड़ रुपये, कोनासीमा गैस एण्ड पावर - 415 करोड़ रुपये, सुजलोन एनर्जी - 1,098 करोड़ रुपये, इंडिया मेटल्स - 283 करोड़ रुपये, एमपी पावर - 27 करोड़ रुपये और ओडिशा पावर कंर्सोटियम - 44 करोड़ रुपये है. अब इनमें से, कोनासीमा और एमपी पॉवर पहले से एनपीए खाते हैं।.
अभिषेक मुरारका:	नए एनपीए में कौन-कौन शामिल होंगे?
आर. नागराजन:	रत्नागिरी गैस एण्ड पॉवर - 722 करोड़ रुपये और आकटेंट इंडस्ट्रीज - 25 करोड़ रुपये.
अभिषेक मुरारका:	धन्यवाद।
सभापति:	धन्यवाद। चूंकि अब भागीदारों की ओर से कोई और प्रश्न नहीं है इसलिए मैं अब इस मंच को पुन: श्री शांतनु चक्रवर्ती को उनकी समापन टिप्पणियों के लिए देता हूँ। आपका स्वागत है महोदय।
शांतनु चक्रवर्ती:	पीएफसी प्रबंधन और कॉल के सभी भागीदारों का इस जोशपूर्ण चर्चा के लिए धन्यवाद। अब चर्चा समाप्त होती है। आप सभी को बढ़े हुए सप्ताहांत की शुभकामनाएं।
सभापति:	बहुत-बहुत धन्यवाद महोदय। आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज लिमिटेड की ओर से आज का सम्मेलन समाप्त होता है। इसमें भाग लेने के लिए धन्यवाद और अब आप अपनी लाइनें डिसकनेक्ट कर सकते हैं।

नोट: इस दस्तावेज को इसकी पठनीयता और प्रासंगिकता में सुधार करने में लिए संपादित किया गया है।